

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

आयुष्मान कार्ड वार्डवार कॉमन सेन्टरों पर निःशुल्क बनाये जा रहे हैं
5 जून को 67 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये

रतलाम 05 जून । आयुष्मान भारत 'निरामयम' योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य नगर निगम द्वारा 5 से 15 जून तक वार्डों के कॉमन सर्विस सेन्टरों पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में वार्ड वार नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है जिसके तहत 5 जून को 67 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा आयुष्मान भारत 'निरामयम' योजना अन्तर्गत आयुष्मान कार्ड विशेष अभियान चलाकर योजना अन्तर्गत पात्र परिवारों का आयुष्मान कार्ड समय-सीमा में बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा वार्डवार नगर निगम कर्मचारियों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ कॉमन सर्विस सेन्टर के प्रोवाइडर के दलों का गठन किया है तथा कार्य के पर्यवेक्षण हेतु निगम के उपयंत्रियों उप स्वच्छता पर्यवेक्षकएँ आंगनवाड़ी सुपरवाइजरएँ को पाबंद किया तथा आयुष्मान कार्ड बनाने की संपूर्ण कार्यवाही हेतु स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया।

वार्डवार गठित दलों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया है कि रतलाम नगर में युद्ध स्तर पर पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जाना है इस हेतु हितग्राही से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जावे पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का पंजीयन किये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आईडी दस्तावेज के रूप में लिये जावें।

युद्ध स्तर पर चल रहा है नाले-नालयों की सफाई का कार्य

6 नालों की सफाई का कार्य जारी

नालों की सफाई उपरान्त क्या जा रहा है कीटनाशक दवा का छिड़काव
रतलाम 05 जून । वर्षा ऋतु के पूर्व नगर के समस्त नाले-
नालयों की सफाई करवाये का कार्य निगम आयुक्त श्री सोमनाथ
झारिया द्वारा दिये गये निर्देश के तहत निगम के स्वास्थ्य वभाग
द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है साथ ही नालों की सफाई उपरान्त
कीटनाशक दवा का छिड़काव भी क्या जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य
वभाग अमले द्वारा कन्या गांधी नगर से मीराकुटी तक का नालाए
बजरंग नगरए अर्जून नगरए सेठजी का बाजार व लक्कड़पीठाए हाट रोड
वाले नाले की सफाई का कार्य स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह के
निर्देशन में जेसीबी मशीनए टेक्टर ट्रॉली व गैंग के माध्यम से क्या
गया व सफाई उपरान्त नालों व नालयों में केसोलक व ब्लीचिंग
कीटनाशक दवा का छिड़काव क्या गया।

अनुपस्थित 17 सफाई संरक्षक को कारण बताओ सूचना-पत्र

आधे व एक दिवस को वेतन काटा

रतलाम 05 जून। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार
स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा रतलाम 05 जून शनिवार को प्रातः नगर के
व भन्न वार्डों में सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान 17 सफाई
संरक्षकों द्वारा अपने निर्धारित कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने
पर आधे व पुरे दिवस का वेतन काटे जाने के संबंध में कारण बताओ
सूचना-पत्र जारी कर तीन दिवस में स्पष्टीकरण चाहा गया।

प्रातः निरीक्षण के दौरान झोन क्रमांक 1 में 12ए झोन क्रमांक 3 में 3
व झोन क्रमांक 4 में 2 इस तरह कुल 17 सफाई संरक्षक अपने कर्तव्य
स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर संबंधितों का आधे व एक दिवस
का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी क्या गया।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेश्यों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा 907 मवेश्यों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा रतलाम 05 जून । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर सड़को चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेश्यों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेश्यों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालकों द्वारा दिन में मवेश्यों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 05 जून तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 907 मवेश्यों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 05 जून को गांधी नगर अलकापुरी लक्ष्मणपुरा जवाहर नगर आदि क्षेत्रों से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों पर सड़को चौराहों को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलों को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेश्यों का पालन करना नियम वपरित है ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवेश्यों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राश वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक

पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह के निर्देशन में स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

होम आईसोलेशन मरीजों को मेडसन कट का वतरण

2 मरीजों को कया मेडसन कट का वतरण

मरीज के परिजनों को 3 मेडकल कट का वतरण

रतलाम 05 जून। को वड-19 संक्रमण में होम आईसोलेशन के मरीजों को मेडसन कट व स्वास्थ्य वभाग के निर्देशों की प्रति की होम डलेवरी कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वार्ड वार गठित दलों द्वारा मरीजों के घर जाकर मेडकल कट प्रदान की।

ई-दक्ष केन्द्र रतलाम से 05 जून को होम आईसोलेशन के मरीजों की सूची स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह ने प्राप्त कर जिला अस्पताल के स्टोर से 2 मेडसन कट प्राप्त कर निगम के अग्निशमन वभाग में उपलब्ध कराई जिन्हे अग्निशमन वभाग से वार्ड वार गठित दलों वतरण हेतु उपलब्ध कराई गई।

वार्ड वार गठित दलों द्वारा होम आईसोलेशन के मरीजों के घर-घर जाकर मेडकल कट का वतरण कया गया जिसके तहत सूची अनुसार 2 मरीजों को मेडकल कट का वतरण घर पर कया गया तथा 3 मेडसीन कट मरीज के परिजनों को प्रदान की गई।

नगरीय क्षेत्र में 252 कन्टैनमेंट झोन बनाये

रतलाम 05 जून । को वड-19 कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार ऐसे क्षेत्र जहां कोरोना संक्रमण मल रहे है

उस क्षेत्र को कनटेनमेंट झोन बनाया जा रहा है जिसके तहत अब तक 251 कनटेनमेंट झोन बनाये जा चुके हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में 11 से 05 जून तक टाटा नगर में 2ए तेजा नगर में 2ए ओझाखालीए प्रताप नगरए प्रताप नगर एक्स्टेंशनए प्रताप नगर एक्स्टेंशन में मकान नम्बर 5ए 19 व 30ए ऑफसर्स कॉलोनीए बालाजी नगरए थावरिया बाजारए वकील कालोनीए ब्राम्हणों का वासए वेदव्यास कालोनी में 4ए गुलमोहर कॉलोनीए देवरादेव नारायण नगरए जवाहर नगरए डोंगरे नगरए मोहन नगरए अलकापुरी अम्बे चौक के पासए आदर्श नगर गली नम्बर 3ए सुनाना ड्रीम होम्स सुमंगल गार्डन के पासए कस्तुरबा नगर मुख्य मार्ग पर 2ए दीनदयाल नगर मुख्य मार्गए दीनदयाल नगर मकान नम्बर 38 व 196ए दीनदयाल नगर राधा-कृष्ण स्कूल के पासए शास्त्री नगर में 2ए राजपूत बोर्डिंग के पास 2ए महेश नगरए सन सटी कॉलोनीए दीनदयाल नगर सी सेक्टर में 1 व जी सेक्टर में 2ए धीरजशाह नगर गली नम्बर 4 में 1 व गली नम्बर 5 में 2ए सलावटो का वासए कस्तुरबा नगर पीएण्डटी कोलोनीए अम्बिका नगरए राजीव नगरए सुयोग परिसरए थावरिया बाजारए वेदव्यास कालोनी अ भलाषा अपार्टमेन्टए खटीक मोहल्लाए दीनदयाल नगर डी सेक्टरए तेजा नगर गली नम्बर 4ए नेमीनाथ नगरए गौशाला रोडए सुतारो का वासए जवाहर नगरए जनता नगरए अलकापुरीए भोयरा बावड़ीए ताहेरपुराए अलकापुरी मुख्य मार्गए कस्तुरबा नगर सांवरिया स्वीट् के पासए जवाहर नगरए बाणेश्वरी कॉलोनीए नेमीनाथ नगरए दीनदयाल नगर बी सेक्टरए तेजा नगर गली नम्बर 4 आदर्श गुरु कल्याण नगरए रिद्धी-सद्धी कालोनीए सद्धांचलम एक्सटेंशनए महेश नगरए इन्द्रा नगरए सैनिक कालोनीए टाटा नगर गली नम्बर 1 व 8ए सलावटो का वास अन्न क्षेत्रए करमदी रोडए सुदामा परिसरए अजंता पेलेसए राजस्व कालोनीए खटीक मोहल्लाए हाथीखानाए खटीक मोहल्लाए गौशाला रोडए जाटो का वासए नौलाईपुराए टाटा नगर गली नम्बर 7ए अरिहंत परिसर सेक्टर नम्बर 2 में 2 व 1 में 1ए नूरी नगर उंकाला रोडए सूरजमल जैन नगरए लक्ष्मीनगर ए कालोनीए

एम.बी. नगरए लक्ष्मणपुरा पीएनटी कालोनी गली नम्बर 1ए ग्लोबस टाउन शपए अलकापुरी एम.आई.जी. 24 व 25 व अलकापुरी डी 27 व बी 279ए हिम्मत वहार कालोनीए अशोक नगरए करण नगरए जूनी कलालसेरीए दीनदयाल नगर एफ सेक्टरए वेदव्यास कालोनीए ताहेरपुराए श्रीमालीवासए जवाहर नगर व मोहन नगर में 2 कन्टेनमेंटए हाथीखानाए खान बावडीए गुलमोहर कालोनीए रामदेवजी की घाटीए दीनदयाल नगर सी सेक्टरए करण नगरए जूनी कलालसेरीए कल्याण नगरए गांधी नगरए डोंगरेए इन्द्रा नगरए दीनदयाल नगर डीए ई व एफ सेक्टरए हिम्मत नगर में 2ए महेश नगरए जवाहर नगरए अम्बेडकर नगरए कोमल नगरए मत्र निवास रोडए टीआईटी रोड पर 2ए गुलमोहर कालोनीए महू रोड रायल कालेज के पास पटेल हाउसए आम लया भेरूए रत्नपुरीए न्यू ग्लोबस सटीए पीएनटी कालोनीए वीआईपी नगरए भोई मोहल्लाए जावरा रोड सीतला माता मंदिरए शास्त्री नगर रतलाम हास्पिटल के पासए लक्ष्मी नगरए जैन कालोनी नागरवासए महू रोड अ वष्कार अपार्टमेंटए पीएनटी कालोनीए काटजू नगरए सद्धांचलमए प्रताप नगरए धभाई जी का वासए दीनदयाल नगर ए सेक्टरए कोठारीवासए दो बत्ती पुलस लाईनए जावरा रोडए जावरा रोड सीतला माता मंदिरए धीरजशाह नगर गली नम्बर 4ए गांधी नगरए सन सटीए तिरूपति नगरए देवरा देव नारायण नगरए रेहमत नगरए प्रताप नगरए दीनदयाल नगरए राम मंदिर के पासए मराठो का वासए मोचीपुराए हाट रोडए राजस्व कालोनीए मड टाउन कालोनीए सुरजमल जैन नगरए सुदामा नगर गली नम्बर 4ए रामगढए दीनदयाल नगर बी सेक्टरए जवाहर नगरए राजीव नगरए सज्जन वहार कालोनीए मत्र निवास रोडए एकता नगरए काजीपुराए भगतपुरी मुख्य मार्गए ऋषभदेव नगरए रेलवे कालोनीए कस्तुरबा नगरए जवाहर नगरए पीएनटी कालोनीए इन्द्रा नगरए डोंगरे नगरए नागरवासए आबकारी रोडए नजर बाग बैंक कालोनीए चांदनी चौकए शवधाम परिसर रत्नेश्वर रोडए सम्यक ग्लोबस सटीए जावरा रोडए रेहमत नगरए प्रताप नगरए घटला कालोनीए डोसीगांव पी.एम. आवास योजना फ्लेटए कांगसी मोहल्ला बाजना बस स्टैण्डए अशोक नगरए टाटा नगर गली नम्बर 2ए

कस्तुरबा नगरए अलकापुरीए जवाहर नगरए जाटो का वासए 2 मुंह की बावड़ीए महालक्ष्मी नगरए दीनदयाल नगरए इन्द्रा नगरए जवाहर नगरए सलावटो का वासए भगत सिंह कालोनीए जवाहर नगरए प्रताप नगरए मौलाना आजाद नगरए नयागांव राजगढ़ए जाटो का वासए पत्रकार कालोनीए ईदगाह रोडए टाटा नगर गली नम्बर 5 व 6ए रेहमत नगरए डीजल शेडए महावीर नगरए मंगलम् सटीए कस्तुरबा नगरए नयागांव गणेश नगरए मत्र निवास रोडए मोचीपुराए कलीमी कालोनीए इन्द्रा नगरए गंगासागरए शहर सराय में कन्टेनमेंट झोन बनाये गये है इस तरह 26 दिवस में 252 कन्टेनमेंट झोन रतलाम नगरीय क्षेत्र में बनाये गये हैं।

कन्टेनमेंट क्षेत्रों में क्या जा रहा है सेनेटाईजेशन का कार्य

रतलाम 05 जून । को वड-19 (कोरोना वायरस) के फैलाव को रोकने हेतु जिला कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर के व भन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने पर बनाये गये कन्टेनमेंट क्षेत्रों में फायर लॉरीए टेक्टर ट्रॉली व हैण्ड स्प्रे मशीन से सेनेटाईजेशन क्या जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगर के व भन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने पर बनाये गये व भन्न कन्टेनमेंट क्षेत्रों में फायर लॉरीए टेक्टर ट्रॉली व हैण्ड स्प्रे मशीन से कन्टेनमेंट क्षेत्रों में नियमित रूप से पानी में 1 प्रतिशत सो डियम हाईपोक्लोराईड मलाकर सेनेटाईजेशन का कार्य झोन अनुसार नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से क्या जा रहा है ता क को वड-19 (कोरोना वायरस) के फैलाव को जा सकें।

नगर में प्रतिदिन क्या जा रहा है सेनेटाईजेशन

नगर के व भन्न क्षेत्रों को फायर लॉरी से क्या सेनेटाईज

रतलाम 05 जून । रतलाम नगर के नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने हेतु जिला कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार निगम के व भन्न वाहनों के माध्यम से सो डियम

हाईपोक्लोराईड से सेनेटराईज किया जा रहा है साथ ही माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रों में भी हैण्ड मशीन से सेनेटाईजेशन किया जा रहा है।

नगर निगम द्वारा प्रतिदिन फायर लॉरी व टेक्टर ट्रॉली से नगर के व भन्न क्षेत्रों की सड़कों व लयों व भवन आदि को 1 प्रतिशत सो डयम हाईपोक्लोराईड मलाकर 1 लाख लीटर से सेनेटराईज किया जा रहा है। 05 जून को फायर लॉरी व टेक्टर ट्रॉली से मेडकल कालेज सहित नगर के व भन्न क्षेत्रों में सेनेटाईजेशन किया गया। इसके अलावा 14 व्यक्तियों की टीम द्वारा हैण्ड मशीन के माध्यम से मेडकल कॉलेज व माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्र व कलेक्टोरेट व ई-दक्ष कार्यालय व नगर निगम कार्यालय सहित शासकीय कार्यालयों आदि में सेनेटराईजेशन का कार्य किया गया।

नगर के सेनेटराईज कये जाने के साथ ही स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में सफाई का कार्य किया जा रहा है व सफाई उपरान्त सफाई स्थल व नालयों में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 05 जून । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर व हैल्पर वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर व दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर व हैल्पर वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा

उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालयों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का वक्रय व उपयोग करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 05 जून । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में नाले-नालियों में कचरा डालते हैं व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रय व उपयोग व भण्डारण करते हैं उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाश षन्दे मो.नं. 9424075393ए मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में नाले-नालियों में कचरा डालते हैं व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रय व उपयोग व भण्डारण करते हैं उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते हैं उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे। नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 05 जून । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित है जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं. व. हेमन्त/05जून2021/धन.पा.निगमए रतलाम.